



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञापि

दिनांक- 03.07.2026

गैंगस्टर अपराधियों पर सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई,

राबर्ट्सगंज, हाथीनाला एवं करमा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गैंगस्टर एक्ट के कुल 08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध खनन पासर गिरोह पर कसा शिकंजा, 03 वाहन भी किए गए सीज

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षकगण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारियों के कुशल निर्देशन में थाना **राबर्ट्सगंज, हाथीनाला एवं करमा पुलिस** द्वारा अलग-अलग कार्यवाही करते हुए **गैंगस्टर एक्ट के कुल 08 वांछित अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियान के दौरान अवैध खनन में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 03 चार पहिया वाहनों को भी सीज किया गया।

कार्यवाही-01 थाना राबर्ट्सगंज

अवैध खनन माफियाओं पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार

गैंगस्टर एक्ट में वांछित अवैध खनन पासर गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 03 चार पहिया वाहन सीज

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन, संगठित अपराध एवं माफिया गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार** के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्रा** के कुशल निर्देशन में थाना राबर्ट्सगंज पुलिस एवं प्रभारी एसओजी टीम निरीक्षक नागेश सिंह द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए थाना राबर्ट्सगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0-551/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट** से सम्बन्धित वांछित **04 नफर अभियुक्तों** को आज दिनांक 03.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर चुर्क कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त **03 चार पहिया वाहनों** के वैध प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने पर उन्हें नियमानुसार **सीज** कर दिया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गिरफ्तार अभियुक्त अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन के

माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करने वाले संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो पूर्व में भी कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक **12.09.2025** को जिला खनिज कार्यालय, सोनभद्र के सर्वेक्षक **श्री योगेश शुक्ला** एवं पुलिस टीम द्वारा गिट्टी एवं बालू का परिवहन कर रहे वाहनों की जांच के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस एवं खनिज विभाग की टीम पर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, अभियुक्तों द्वारा चेकिंग बैरियर तोड़ते हुए तेज रफ्तार में गलत दिशा से वाहन भगाकर सार्वजनिक मार्ग पर अराजकता एवं भय का वातावरण उत्पन्न किया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना राबर्ट्सगंज पर **मु0अ0सं0-944/2025** धारा 121(1), 109(1), 324(4), 352, 351(3), 191(2), 61(2)क बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त **03 चार पहिया वाहनों** के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण वाहनों को विधिक कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01- अरमान खान पुत्र सलाउद्दीन, निवासी ग्राम मारकुण्डी, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र, उम्र 32 वर्ष।

02- आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन, निवासी ग्राम परही, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र 37 वर्ष।

03- रंजीत कुमार उर्फ नेता यादव पुत्र राजेश यादव, निवासी ग्राम लूसा, थाना राजगढ़, जनपद मिर्जापुर (हाल पता- मारकुण्डी, थाना चोपन), उम्र 20 वर्ष।

04- दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू केशरी पुत्र विजय कुमार केशरी, निवासी दारानगर, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर (हाल पता- ब्रह्मनगर कॉलोनी, थाना राबर्ट्सगंज), उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. अरमान खान पुत्र सलाउद्दीन का आपराधिक इतिहास

1. **मु0अ0सं0-131/2020**, धारा-323, 504, 506 IPC, थाना-चोपना
2. **मु0अ0सं0-47/2025**, धारा-126(2), 132, 191(2), 3(5), 309(5), 351(2), 352 बीएनएस, धारा-7 अपराध कानून संशोधन अधिनियम एवं धारा-3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-चोपना।
3. **मु0अ0सं0-633/2023**, धारा-186, 353 IPC एवं 2/3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंज।
4. **मु0अ0सं0-665/2023**, धारा-120बी, 177, 186, 379, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 IPC, 3/57/7 खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 2/3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंज।
5. **मु0अ0सं0-392/2024**, धारा-120बी, 279, 379, 411 IPC, 3(1)/58/72(6) खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंज।

6. मु0अ0सं0-760/2024, धारा-303(2), 317(2), 61(2)(बी) बीएनएस, 3(1)/58/72(6) खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंजा
7. मु0अ0सं0-944/2025, धारा-121(1), 109(1), 324(4), 352, 351(3), 191(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा
8. मु0अ0सं0-551/2026, धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा

2. आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-676/2024, धारा-221, 303(2), 317(2), 61(2) बीएनएस, 3(1), 58, 72(6) खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंजा
2. मु0अ0सं0-944/2025, धारा-121(1), 109(1), 324(4), 352, 351(3), 191(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा
3. मु0अ0सं0-551/2026, धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा

3. रंजीत कुमार उर्फ नेता यादव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-944/2025, धारा-121(1), 109(1), 324(4), 352, 351(3), 191(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा
2. मु0अ0सं0-551/2026, धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा

4. दिनेश्वर केशरी उर्फ भोन् केशरी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-195/2024, धारा-186, 279, 34, 379, 411 IPC, 3/57/7 खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंजा
2. मु0अ0सं0-944/2025, धारा-121(1), 109(1), 324(4), 352, 351(3), 191(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा
3. मु0अ0सं0-43/2026, धारा-121(1), 109(1), 303(2), 317(2), 61(2)(क) बीएनएस, 3(1)/58/72(6) खनिज नियमावली, 4/21 खनिज अधिनियम एवं 3 लोक क्षति निवारण अधिनियम, थाना-राबर्ट्सगंजा
4. मु0अ0सं0-551/2026, धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना-राबर्ट्सगंजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- निरीक्षक बनारसी यादव, थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा
- निरीक्षक नागेश सिंह प्रभारी एसओजी टीम जनपद सोनभद्रा
- उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव, प्रभारी चौकी नई बाजार थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा
- उ0नि0 अनिल विश्वकर्मा, प्रभारी चौकी हिन्दुआरी थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा
- हे0का0 अमरजीत यादव थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा
- हे0का0 दिनेश कुमार थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा
- का0 पंकज यादव थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्रा

- का0 अनुराग बाघमारे थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
- का0 राम सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
- का0 अभिमन्यु पाण्डेय थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

कार्यवाही-02 थाना हाथीनाला

थाना हाथीनाला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हाथीनाला पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0-33/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट** से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. आलम पुत्र बिस्मिल्ला निवासी बरदेवा करकी माइन्स पोस्ट कसया कला, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
2. वकील पुत्र लालचन्द्र निवासी करकी माइन्स, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली टीम.

1. प्रभनि0 उदयभान राय, थाना हाथीनाला, सोनभद्र।
2. उ0नि0 राजनारायण यादव, थाना हाथीनाला, सोनभद्र।
3. का0 प्रद्युम्न यादव, थाना हाथीनाला, सोनभद्र।
4. रि0का0 विमलेश तिवारी, थाना हाथीनाला, सोनभद्र।
5. रि0का0 सुनील वर्मा, थाना हाथीनाला, सोनभद्र।

कार्यवाही-03 थाना करमा

थाना करमा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल के निर्देशन में थाना करमा पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0-126/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट** में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर बहेरा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. सुरेश मौर्या पुत्र रुपनाथ मौर्या निवासी बहेरा (रजपुरवा), थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
2. सनोज यादव पुत्र बगल यादव उर्फ पगल यादव निवासी बहेरा (रजपुरवा), थाना करमा, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मनोज सिंह थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 कृपाशंकर राम थाना करमा जनपद सोनभद्र
3. का0 आकाश गुप्ता थाना करमा जनपद सोनभद्र।